तारीख हुक्म	रुपमान सिंह बनाम मु० सिवायचक तहसील हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज प्रा०पत्र 136 LR ACT प्र०नं० - 74/2024
13.11.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:21:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
74 / 2024	2024 / 295	06.09.2024	13.11.2024

उनवान प्रकरण

गुमानसिह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सांवलपुरा शेखावतान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राजस्थान

–– प्रार्थी––

बनाम्

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राजस्थान

–– अप्रार्थी––

उपस्थित:–

श्री लोकेन्द्र सिंह, एड0 प्रार्थी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:21:59 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवाद इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट खिलाफ अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

कृषि भूमि खसरा नम्बर 219, 220, 233, 234, 283, 329, 330, 331, 332, 334, 343, 424, 425, 426, 620, 621, 662, 663, 665, 77, 87, 90 कुल किता 22 कुल रकबा 13.9700 हैक्टर राजस्व ग्राम सांवलपुरा शेखावतान पटवार हल्का पीथलपुर भू-अभिलेख निरीक्षक रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की जमाबंदी संवत 2055 से 2058 में खातेदारी "गुमानसिंह, उम्मेदसिंह, नरपतसिंह पि0 सुगनसिंह व राजेन्द्रसिंह, मनोजसिंह पि0 समदरसिंह, सायर कंवर बैवा समदरसिंह ब.हि.ब. 1/4" दर्ज चली आ रही थी, जो सही थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि गुमानसिंह, समदरसिह, उम्मेदसिंह, नरपतसिंह पि0 सुगनसिंह चारो सगे भाई थे एवं जमाबंदी संवत 2043 से 2047 में भी खातेदारी गुमानसिंह, समदरसिंह, उम्मेदसिंह, नरपतसिंह पि0 सुगनसिंह बहि.ब.हि. 1/4 सही दर्ज चली आ रही थी एवं नामान्तकरण संख्या-286 ग्राम सांवलपुरा भी सही रूप से गुमानसिंह, उम्मेदसिंह, नरपतसिंह पि0 सुगनसिंह हिस्सा 3/16, राजेन्द्रसिंह, मनोजसिंह पि0 समन्दरसिंह, सायर कंवर बैवा समदरसिंह हिससा 1/16 सही दर्ज हुयी थी, परन्तु बाद में सैटिलमेन्ट कर्मचारियों एवं राजस्व कर्मचारियो पटवारी हल्का आदि की गफलत व लापरवाही के कारण जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में गलत हिस्सा दर्ज कर दिया गया है। जिसको सही दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। उक्त कृषि भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी- गुमानसिंह पुत्र सुगनसिंह हिस्सा 1/24 के स्थान पर हिस्सा 1/16 एवं उम्मेदसिंह पुत्र सुगनसिंह हिससा 1/24 के स्थान पर हिस्सा 1/16 एवं नरपतसिंह पुत्र सुगनसिंह हिस्सा 1/24 के स्थान पर हिस्सा 1/16 एवं राजेन्द्रसिंह पुत्र समदरसिंह हिस्सा 1/24 के स्थान पर हिस्सा एवं मनोजसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:21:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पुत्र समदरसिंह हिस्सा 1/24 के स्थान पर 1/48 हिस्सा एवं सायर कंवर पत्नी समदरसिंह हिस्सा 1/24 के स्थान पर 1/48 हिस्सा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होने से उक्त त्रुटि अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत दुरूस्तनीय है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट पेश कर राजस्व ग्राम सांवलपुरा शेखावतान पटवार हल्का पीथलपुर भू-अभिलेख रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 219, 220, 233, 234, 283, 329, 330, 331, 332, 334, 343, 424, 425, 426, 620, 621, 662, 663, 665, 77, 87, 90 कुल किता 22 कुल रकबा 13.9700 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में "गुमानसिंह पुत्र सुगनसिंह हिस्सा 1/24 के स्थान पर हिस्सा 1/16 एवं उम्मेदसिंह पुत्र सुगनसिंह हिस्सा 1/24 के स्थान पर हिस्सा 1/16 एवं नरपतसिंह पुत्र सुगनसिंह हिस्सा 1/24 के स्थान पर हिस्सा 1/16 एवं राजेन्द्रसिंह पुत्र समदरसिंह हिस्सा 1/24 के स्थान पर 1/48 हिस्सा एवं मनोजसिंह पुत्र समदरसिंह हिस्सा 1/24 के स्थान पर 1/48 हिस्सा एवं सायर कंवर पत्नी समदरसिंह हिस्सा 1/24 के स्थान पर 1/48 हिस्सा" दुरूस्त किये जाने के आदेश अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किए जाने का निवेदन वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में किया गया हैं।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का पेश करने पर प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0 एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट लिये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को जरिये पत्रांक क्रमांक 1506/रीडर/24 दिनांक 19.09.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:21:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

के द्वारा लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 2699/भू.अ./2024 दिनांक 08.10.2024 के द्वारा पटवार हल्का पीथलपुर की जॉच रिपोर्ट को मूल ही प्रेषित करते हुए कथन किया है कि :–

राजस्व ग्राम सांवलपुरा शेखावतान पटवार हल्का पीथलपुर भू–अभिलेख निरीक्षक रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 28 के कुल किता 22 कुल रकबा 13.97 हैक्टर में उम्मेदसिंह पुत्र सुगन सिंह हिस्सा 1/24 जाति राजपूत सा. देह वगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत् 2043–46 में गुमान सिंह, समदर सिंह, उम्मेद सिंह, नरपत सिंह पिता सुगन सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। नामान्तकरण संख्या 286 द्वारा समदर सिंह के फौत होने पर वारिस राजेन्द्र सिंह, मनोज सिंह पिता समदर सिंह, सायर कंवर बेवा समदर सिंह के नाम खातेदारी में दर्ज हुई है। जमाबन्दी सम्वत् 2051–54 में नामान्तकरण दर्ज होने के बाद गुमान सिंह, उम्मेद सिंह, नरपत सिंह पिता सुगन सिंह हिस्सा 3/16 एंव राजेन्द्र सिंह, मनोज सिंह पिता समदर सिंह, सायर कंवर बेवा समदर सिंह हिस्सा 1/16 की जगह जमाबन्दी में गुमान सिंह, उम्मेद सिंह नरपत सिंह पिता सुगन सिंह व राजेन्द्र सिंह, मनोज सिंह पिता समदर सिंह, सायर कंवर बेवा समदर सिंह हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत् 2055–58 में नामान्तकरण संख्या 350 द्वारा उम्मेद सिंह पिता सुगन सिंह, राजेन्द्र सिंह, मनोज सिंह पिता समदर सिंह, सायर कंवर बेवा समदर सिंह हिस्सा 1/8 कौम राजपूत राहिन पीएनबी शाखा चीपलाटा दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में गुमान सिंह,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:21:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

[illegible] सिंह नरपत सिंह पिता सुगन सिंह, राजेन्द्र सिंह, मनोज सिंह पिता समदर सिंह, सागर कंवर बेवा समदर सिंह सभी के हिस्सा 1/24 दर्ज रिकार्ड है। जो गलत है। उक्त हिस्से के स्थान पर गुमान सिंह, उम्मेद सिंह नरपत सिंह पिता सुगन सिंह हिस्सा [illegible]/16 तथा राजेन्द्र सिंह, मनोज सिंह पिता समदर सिंह, सागर कंवर बेवा समदर सिंह हिस्सा 1/16 दर्ज रिकार्ड किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है।

वकील प्रार्थी ने प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर सगौर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2043–2046, 2047–2050, 2051–2054, 2055–2058, 2070–2073, 2074–2077 जमाबन्दियाँ, नामान्तकरण संख्या 286, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा खतौनी, रिपोर्ट पटवारी हल्का पीथलपुर व अभिशंषा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2043–46 में गुमान सिंह, समदर सिंह, उम्मेद सिंह, नरपत सिंह पिता सुगन सिंह जाति [illegible] हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड [illegible] तथा नामान्तकरण संख्या 286 द्वारा समदर सिंह पिता सुगन सिंह के फौत होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:21:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

...समदरसिंह के वारिसान राजेन्द्र सिंह, मनोज सिंह पिता समदर सिंह, सायर कंवर ... समदर सिंह के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जमाबन्दी संवत् 2051–54 में नामान्तकरण दर्ज होने के बाद गुमान सिंह, उमेद सिंह, नरपत सिंह पिता सुगन सिंह हिस्सा 3/16 एवं राजेन्द्र सिंह, मनोज सिंह पिता समदर सिंह, सायर कंवर बेवा समदर सिंह हिस्सा 1/16 की जगह जमाबन्दी में गुमान सिंह, उमेद सिंह नरपत सिंह पिता सुगन सिंह व राजेन्द्र सिंह, मनोज सिंह पिता समदर सिंह, सायर कंवर बेवा समदर सिंह हिस्सा 1/4 गलत दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। पटवारी हल्का पीथलपुर की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। उक्त राजस्व रिकार्ड में हुई अशुद्धि को शुद्ध किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में की है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार श्रीमाधोपुर की प्राप्त अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं। जिसकी वर्तमान राजस्व अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में शुद्ध करना न्यायहित में आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:21:59 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के परिणाम [illegible] प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] 1956 को स्वीकार किया जाता है अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम– 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा तन् राजस्व ग्राम सांवलपुरा शेखावतान पटवार हल्का पीथलपुर भू–अभिलेख

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि नम्बर 219, 220, 233, 234, 283, 329, 330, 331, 332, 334, 343, 424, 425, 620, 621, 662, 663, 665, 77, 87, 90 कुल किता 22 कुल रकबा 13.9700 हैक्टर में दर्ज "गुमानसिंह पुत्र सुगनसिंह हिस्सा 1/24 के स्थान पर हिस्सा 1/16, उम्मेदसिंह पुत्र सुगनसिंह हिस्सा 1/24 के स्थान पर हिस्सा 1/16, नरपतसिंह पुत्र सुगनसिंह हिस्सा 1/24 के स्थान पर हिस्सा 1/16 एवं राजेन्द्रसिंह पुत्र समदरसिंह हिस्सा 1/24 के स्थान पर 1/48 हिस्सा एवं मनोजसिंह पुत्र समदरसिंह हिस्सा 1/24 के स्थान पर 1/48 हिस्सा एवं सायर कंवर पत्नी समदरसिंह हिस्सा 1/24 के स्थान पर 1/48 हिस्सा" वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में शुद्ध कर दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की कार्यवाही कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:21:59 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)